रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 8, 2017/श्रावण 17, 1939
No. 309] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 2017/ SRAVANA 17, 1939

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2017

सं. 2/11(3)/13-बीईई.— कतिपय प्रारूप विनियमों अर्थात् ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ब्यूरो के महानिदेशक की शक्तियां और कर्तव्य) विनियम, 2017, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की अधिसूचना सं. 2/11/(3)/13-बीईई तारीख 13 फरवरी, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, धारा 4 तारीख 23 फरवरी, 2017 में प्रकाशित किए गए थे, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उपधारा (i) के अधीन अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं;

और उक्त प्रारूप विनियमों को 23 फरवरी, 2017 को जनता को उपलब्ध करा दिए गए थे;

और उपरोक्त अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अब ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) की धारा 9 की उपधारा 6 के साथ पठित धारा 58 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** -(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ब्यूरो के महानिदेशक की शक्तियां और कर्त्तव्य), विनियम, 2017 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं :-** (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;

(ख) "ब्यूरो" से उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट शासी परिषद के पदेन अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी" से ब्यूरो का महानिदेशक अभिप्रेत है;

(ड.) "सचिव" से ब्यूरो का सचिव अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, उनका क्रमश: वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में है।

3. ***ब्यूरो के महानिदेशक की शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन*** – (1) शासी परिषद द्वारा कार्यकलापों के साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध के अधीन रहते हुए, ब्यूरो का महानिदेशक मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी के रूप में अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नीचे विनिर्दिष्ट ब्यूरो की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेंगे, अर्थात् :

(क) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन यथा उपबंधित ब्यूरो के नाम से उस पर वाद लाया जाएगा या वह वाद लाएगा और उसे संविदा करने और जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की शक्ति होगी;

(ख) अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन यथा उपबंधित उपस्करों या प्रक्रियाओं की बाबत ऊर्जा संरक्षण के मानक या मानक विनिर्मित करने के लिए उतनी संख्या में विशेषज्ञों की तकनीकी समितियों का गठन कर सकेगा जितनी वह आवश्यक समझे;

(ग) अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन ब्यूरो में उतने अन्य अधिकारियों (सचिव से भिन्न) और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा, जितने वह ब्यूरो के कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे;

(घ) अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन यथा उपबंधित इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन ब्यूरो को समनुदेशित कृत्यों का निर्वहन करने में विद्यमान संसाधनों और अवसंरचना को मान्यता देगा और उसका उपयोग करेगा, अभिहित उपभोक्ताओं अभिहित अभिकरणों और अन्य अभिकरणों के साथ प्रभावी रूप से समन्वय करना;

(ड.) अधिनियम की धारा 13 के खण्ड (क) के अधीन सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के लिए अपेक्षित प्रक्रिया के लिए मानक और ऊर्जा उपभोग सन्नियम के लिए केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करना;

(च) अधिनियम की धारा 14क के अधीन अभिहित उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करना;

(छ) अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (घ) के अधीन उपकरणों या उपस्करों के लेबल पर प्रदर्शित किए गए विवरणों या इनके प्रदर्शन की रीति के बारे में केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करना;

(ज) अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (ड.) के अधीन एक अभिहित उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा के किसी प्रयोक्ता या प्रयोक्ताओं के वर्ग को अधिसूचित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करना;

(झ) अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (त) के अधीन ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विहित करने हेतु उपयुक्त उपाय करना;

(ञ) ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने और जानकारी का प्रसार करने के बारे में सभी आवश्यक उपाय करना;

(ट) ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण की तकनीकों में कार्मिकों और विशेषज्ञों के प्रशिक्षण की व्यवस्था और उसका आयोजन करना;

(ठ) ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में परामर्श सेवाओं को सुदृढ़ बनाना;

(ड) ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना;

(ढ) परीक्षण और प्रमाणीकरण प्रक्रिया का विकास और उपकरणों तथा उपस्करों की ऊर्जा की खपत के लिए प्रमाणन और परीक्षण के लिए परीक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देना;

(ण) ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं तथा प्रदर्शन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की सुविधा और सूत्रण;

(त) ऊर्जा दक्षता प्रक्रम, उपस्कर, युक्तियों और प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देना;

(थ) ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के नवाचारी वित्त पोषण को बढ़ावा देना;

(द) ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों को वित्तीय सहायता देना;

(ध) ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक संस्थानों, बोर्ड, विश्वविद्यालयों या स्वायत्त निकायों के लिए शैक्षिक पाठ्यचर्या तैयार करना और उनकी पाठ्यचर्या में उक्त पाठ्यक्रम के समावेश के लिए समन्वय करना;

(न) ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों के प्रमाणन ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए परीक्षा आयोजित करना और सेवाओं को सुदृढ़ बनाना;

(प) केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्यूरो को सौंपे गए ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना;

(2) अधिनियम की धारा 52 के अधीन महानिदेशक को ब्यूरो के लिए यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना पाने की शक्ति होगी।

(3) महानिदेशक, ब्यूरो के कृत्यों के निर्वहन और शक्तियों के प्रयोग के अतिरिक्त, इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट, ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन और शक्तियों का जो ब्यूरो की शासी परिषद द्वारा, समय-समय पर अधिनियम की धारा 51 के अधीन यथा उपबंधित प्रत्यायोजित की जा सकेगी, प्रयोग करेंगे।

पंकज कुमार, सचिव, बीईई

[विज्ञापन- III/4/Exty./160/17]

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2017

No. 2/11(3)/13-BEE.—Whereas certain draft regulations, namely, the Bureau of Energy Efficiency (Powers and Duties of Director-General of the Bureau) Regulations, 2017, were published via Bureau of Energy Efficiency notification No. 2/11(3)/13-BEE, dated the 13th February, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4, dated the 23rd February, 2017, as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which the said notification is published are made available to the public;

And whereas the said draft regulations were made available to the public on the 23rd February, 2017;

And whereas no objection or suggestions has been received in respect of the said draft regulations within the aforesaid period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 58 read with sub-section (6) of section 9 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau of Energy Efficiency, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement.**– (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Powers and Duties of Director-General of the Bureau) Regulations, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,--

(a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001);

(b) "Bureau" means the Bureau of Energy Efficiency established under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(c) "Chairperson" means the *ex-officio* Chairperson of the Governing Council specified in clause (a) of sub-section (2) of section 4 of the Act;

(d) "Chief Executive Authority" means the Director-General of the Bureau;

(e) "Secretary" means the Secretary of the Bureau.

(2) Words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act, or the rules framed thereunder shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and the rules made thereunder.

3. ***Delegation of powers and functions of Bureau to Director-General***.– (1) Subject to general superintendence, direction and management of the affairs by the Governing Council, the Director-General shall, as the Chief Executive Authority of the Bureau, discharge the functions and exercise the powers of the Bureau as are specified below in accordance with the provisions of the Act, namely:-

(a) acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract, and shall, sue or be sued in the name of the Bureau as provided under sub-section (2) of section 3 of the Act;

(b) constitute such number of technical committees of experts for the formulation of energy consumption standards or norms in respect of equipment or processes, as considered necessary as provided under sub-section (3) of section 8 of the Act;

(c) appoint officers (other than Secretary) and other employees in the Bureau as are considered necessary for the efficient discharge of functions of the Bureau under sub-section (1) of section 10 of the Act;

(d) co-ordinate effectively with designated consumers, designated agencies and other agencies, recognise and utilise the existing resources and infrastructure, in performing the functions assigned to Bureau by or under the Act, as provided under sub-section (1) of section 13 of the Act;

(e) recommend to the Central Government the norms for processes and energy consumption standards, required to be notified by that Government under clause (a) of section 13 of the Act;

(f) recommend to the Central Government for issue of energy saving certificates to the designated consumers under section 14A of the Act;

(g) recommend to the Central Government the particulars required to be displayed on label on equipment or on appliances and the manner of their display under clause (d) of section 14 of the Act;

(h) recommend to the Central Government for notifying any user or class of users of energy as a designated consumer under clause (e) of section 14 of the Act;

(i) take suitable steps to prescribe guidelines for energy conservation building codes under clause (p) of section 14 of the Act;

(j) take all measures necessary to create awareness and disseminate information for efficient use of energy and its conservation;

IndiaCode

(k) arrange and organise training of personnel and specialists in the techniques for efficient use of energy and its conservation;

(l) strengthen consultancy services in the field of energy conservation;

(m) promote research and development in the field of energy conservation;

(n) develop testing and certification procedure and promote testing facilities for certification and testing for energy consumption of equipment and appliances;

(o) formulate and facilitate implementation of pilot projects and demonstration projects for promotion of efficient use of energy and its conservation;

(p) promote use of energy efficient process, equipment, devices and systems;

(q) promote innovative financing of energy efficiency projects;

(r) give financial assistance to institutions for promoting efficient use of energy and its conservation;

(s) prepare educational curriculum on efficient use of energy and its conservation for educational institutions, boards, universities or autonomous bodies and coordinate with them for inclusion of such curriculum in their syllabus;

(t) conduct examination for capacity building and strengthening of services in the field of energy conservation including certification of energy mangers and energy auditors;

(u) implement international co-operation programmes relating to efficient use of energy and its conservation as may be assigned to the Bureau by the Central Government.

(2) The Director-General shall have power to obtain information as may be required by the Bureau under section 52 of the Act.

(3) The Director-General shall, in addition to discharging the functions and exercising the powers of the Bureau, as are specified in these regulations, perform such other duties and exercise powers as may be delegated to him from time to time by the Governing Council of the Bureau as provided under section 51 of the Act.

PANKAJ KUMAR, Secy., BEE

[ADVT.-III/4/Exty./160/17]

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.08.10 22:40:02 +05'30'

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.